(Cr.A.No.77/2018)

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 77/2018

{विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985), धमतरी के विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 5/2010 में दिनांक 15–11–2017 के निर्णय से प्रोद्भूत}

धनी राम गोंड, पिता बाबू लाल गोंड,आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी–ग्राम महाई, पुलिस थाना केल्हारी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

(जेल में निरुद्ध)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा– प्रभारी आरक्षी केन्द्र मगरलोड, जिला– धमतरी, छत्तीसगढ़

...उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से:	श्रीमती लक्ष्मीन टोण्डे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्त अधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य की ओर से:	श्री अरविंद दुबे, शासकीय अधिवक्ता
न्याय मित्र:	श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता

खण्डपीठ:–

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर निर्णय

(21/10/2024)

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल,

1. यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985), धमतरी द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 5/2010 में दिनांक 15–11–2017 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा 20(ख)(ii) (ग) के अधीन अपराध कारित करने हेतु दोषी सिद्ध किया गया है, क्योंकि उसके पास सह–अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय (अब दोषी) के साथ 120 किलोग्राम गांजा पाया गया था और उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000/– के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के संदाय मे व्यतिक्रम की दशा पर उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

2. सह–अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय पर विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट), धमतरी द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 5/2010 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के अधीन अपराध हेतु विचारण चलाया गया और दिनांक 24–3–2011 के निर्णय द्वारा, उसे उक्त अपराध कारित करने हेतु दोषी सिद्ध किया गया एवं बीस वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000/– के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के संदाय मे व्यतिक्रम की दशा पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। यद्यपि, इस न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 150/2012 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में, उसकी दोषसिद्धि यथावत रखी गई एवं कारावास के दण्ड घटाकर दस वर्ष कर दिया गया, जबकि अर्थदण्ड बढ़ाकर ₹ 2,00,000/– कर दिया गया, जिसके व्यतिक्रम की दशा पर पांच वर्ष का सश्रम कारावास निर्धारित किया गया। उसे उसके दण्ड के पूर्ण होने के पश्चात दिनाँक 11–5–2023 को दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनाँक 15–3–2010 को सुबह 11:30 बजे, एक नीली रंग की मारुति कार में प्रतिबंधित वस्तु गांजा के साथ यात्रा करने वाले दो व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई और तदनुसार, प्रदीप कुमार सोरी (अ.सा.–6) द्वारा मुखबिर पंचनामा तैयार किया गया , जिसमें प्र.पी–1 के तहत व्यक्ति/वाहन की तलाशी के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अधीन अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर को प्र.पी–9 के तहत नोटिस दिया गया था। पुलिस पक्षकार की तलाशी के संबंध में पंचनामा प्रदीप कुमार सोरी (अ.सा.–6) द्वारा प्र.पी–10 के तहत तैयार किया गया और तलाशी ज्ञापन प्र.पी–11 के तहत तैयार किया गया, जिसमें मारुति कार की पिछली सीट पर गांजा से भरे 13 जूट और प्लास्टिक के बैग पाए गए। अन्वेषण किया गया तथा अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर के कब्जे में पाए गए गांजे की पहचान के संबंध में पंचनामा प्र.पी–12 के तहत तैयार किया गया। इसी प्रकार गांजे के

वजन के संबंध में पंचनामा प्र.पी–8 के तहत तैयार किया गया तथा गांजे का कुल वजन 120 किलोग्राम पाया गया। अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर को प्र.पी–18 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 91 के अधीन नोटिस दिया गया तथा अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर से प्र.पी–14 के तहत गांजा युक्त 13 बैग (3 प्लास्टिक बैग तथा 10 जूट बैग) जब्त किए गए। अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर से प्र.पी–15 के तहत मारुति कार तथा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया गया। देहाती नालशी प्र.पी–20 के तहत तैयार की गई तथा अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर को प्र.पी–16 के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–21 के तहत दर्ज की गई जिसमें राजेंद्र सिंह का नाम अभियुक्त के रूप में उल्लेखित किया गया, यद्यपि, इसमें उल्लेख किया गया है कि एक अभियुक्त फरार है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 57 के तहत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुरुद को प्र.पी.–23 सी. के माध्यम से भेजा गया। जब्त प्रतिबंधित पदार्थ गांजा के नमूने दिनांक 17–3–2010 को लिए गए तथा दिनांक 19–3–2010 को न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में एकत्र किए गए। दिनांक 18–6–2010 को अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी धनीराम गोंड को फरार पाया गया। एफएसएल रिपोर्ट 14–7– 2010 को प्र.पी.–26 के जरिए तैयार की गई जिसमें नमूने गांजा पाए गए। विचारणके समापन के बाद, राजेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन दोषी सिद्ध किया गया एवं बीस वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000/– रुपये के अर्थदण्ड अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा पर पांच वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया, जिसे बाद में इस न्यायालय ने अपील में संशोधित करके कारावास के दण्ड को घटाकर 10 वर्ष कर दिया तथा अर्थदण्ड को व्यतिक्रम शर्त सहित 1,00,000/– रुपये तक बढ़ा दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. वर्तमान अपीलार्थी को दिनाँक 11–7–2017 को गिरफ्तार किया गया और उस पर विचारण चलाया गया और उसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 51 में यह निष्कर्ष दर्ज करके दोषी सिद्ध किया है कि यद्यपि अपीलार्थी मौके से फरार था, अन्वेषण अधिकारियों मनोज कुमार बेरवंशी (अ.सा.–5) और प्रदीप कुमार सोरी (अ.सा.–6) द्वारा की गई विवेचना वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी पर भी लागू होगी, जो फरार था, एवं तत्पश्चात उसे दोषी सिद्ध किया गया।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती लक्ष्मीन टोण्डे ने तर्क किया कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है और विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पूर्णतः अनुचित है, अतः अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र है।

6. श्री ऋषि राहुल सोनी, विद्वान न्यायमित्र, ने तर्क किया कि चूंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अधीन वर्तमान अपीलार्थी का कथन, जैसा कि विवेचक अधिकारियों – मनोज कुमार बेरवंशी (अ.सा.–5) और प्रदीप कुमार सोरी (अ.सा.–6) द्वारा कथन किया गया है, जिसे कथित तौर पर दिनाँक 15–3–2010 को दर्ज किया गया है, प्रदर्शित नहीं किया गया था और इसके अतिरिक्त, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के आधार पर, जैसा कि **तूफान सिंह विरुद्ध तमिलनाडु राज्य**[1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायायल के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, **बलविंदर सिंह (बिन्दा) विरुद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो**[2] के प्रकरण में और आगे **राजकुमार हरिराम गमेती विरुद्ध गुजरात राज्य व अन्य**[3] के प्रकरण में अनुपालन किया गया, एक अभियुक्त द्वारा दिया गया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अधीन दर्ज किया गया कथन एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अपराध के विचारण में एक स्वीकारोक्ति कथन के रूप में साक्ष्य अस्वीकार्य है वर्तमान अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र है । उन्होंने आगे तर्क किया कि अन्वेषण अधिकारी प्रदीप कुमार सोरी (अ.सा.–6) द्वारा की गई डॉक पहचान एक बहुत ही दुर्बल साक्ष्य है एवं इस आधार पर, वर्तमान अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **बोल्लावरम पेड्डा नरसी रेड्डी व अन्य विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य**[4] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। इस प्रकरण के दृष्टिगत, अपीलार्थी इस प्रकरण में दोषमुक्ति का पात्र है और तदनुसार, वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी/ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया एवं तर्क किया कि विशेष न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूर्णतः न्यायोचित है एवं इस प्रकार, अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. हमने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी ध्यानपूर्वक एवं गहनता से परिशीलन किया है।

9. यह विवाद में नहीं है कि 15–3–2010 को मनोज कुमार बेरवंशी (अ.सा.–5) और प्रदीप कुमार सोरी (अ.सा.–6) ने प्रकरण की विवेचना की एवं विचारण चलाया जिसमें सभी कार्यवाही अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय के विरुद्ध की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–21) में केवल यह दर्ज किया गया कि एक व्यक्ति फरार था और अंतिम रिपोर्ट, जो दस्तावेज के पृष्ठ 35 व 36 पर उपलब्ध है, तैयार

1 (2021) 4 SCC 1
2 2023 LiveLaw (SC) 813
3 2024 SCC Online SC 572
4 (1991) 3 SCC 434

की गई जिसमें वर्तमान अपीलार्थी को भी फरार दर्शाया गया है और बाद में उसे दिनाँक 11–7–2017 को गिरफ्तार किया गया एवं तत्पश्चात उसपर विचारण चलाया गया और विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश द्वारा, पैरा 51 में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया है:

> **51.** जहां तक आरोपी धनी राम गोड़ के पहचान की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही न किये जाने के संबंध है। प्रधान आरक्षक मनोज कुमार बोरवंशी असा. 05 एवं विवेचक प्रदीप कुमार सोरी असा.06 इन दोनों साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी धनी राम गोड़ ही वह व्यक्ति है जो घेराबंदी किये जाने पर वाहन से उतर कर भागा था. और न्यायालय में उपस्थित होने पर उक्त दोनों साक्षियों द्वारा आरोपी धनी राम की पहचान करते हुए यह बताया गया है कि यह वही आरोपी है कि जो घटना दिनांक को वाहन से उतर कर भागा था। अतः अलग से कोई पहचान कार्यवाही कराये जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चूंकि आरोपी धनीराम घटनास्थल से फरार हो गया था इस कारण अन्य आरोपी राजेन्द्र सिंह की उपस्थिति में विवेचक द्वारा समस्त कार्यवाही आरोपी की गयी है और विवेचक द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही आरोपी धनी राम के लिए भी लागू होगी। इसका कारण यह है कि जब विवेचक द्वारा घेराबंदी किया गया और वाहन को रोका गया तो उक्त वाहन में दोनों आरोपी राजेन्द्र सिंह एवं धनी राम सवार थे तथा आरोपी धनी राम वाहन से उतरकर भाग गया था । उपरोक्त आधार पर अभियुक्त धनी राम गोड़ की ओर से दिये गये तर्क का निराकरण करते हुए अमान्य किया जाता है । अभियोजन साक्षी मनोज कुमार बोरवंशी के पुलिस का विटनेस होने एवं लिखित तर्क में दर्शाये गये बिंदुओं के संबंध में पूर्व में विवेचना की जा चुकी है अब अलग से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.यद्यपि सह–अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय का दिनांक 15–3–2010 को दर्ज किया गया कथन मनोज कुमार बेरवंशी (अ.सा.–5) द्वारा अपने कथन के पैरा 9 में तथा प्रदीप कुमार सोरी (अ.सा.–6) द्वारा अपने कथन के पैरा 20 में सिद्ध किया गया है, परन्तु तथ्य यह है कि सह–अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय ने ही उन्हें सूचित किया कि वर्तमान अपीलार्थी भी घटना/अपराध में शामिल है, परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि सह–अभियुक्त राजेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय का कथन रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, परन्तु अभियोजन के कथन पर इसे प्रदर्श के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। हालाँकि, इस संबंध में विधिक स्थिति अब माननीय उच्चतम न्यायालय के तूफान सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय से स्पष्ट हो गई है, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों ने एनडीपीएस अधिनियम में निहित प्रावधानों के साथ–साथ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

जैसे राजस्व विधियों और दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के आलोक में विधिक स्थिति की विस्तृत परीक्षण के पश्चात निम्नानुसार निष्कर्ष पर पहुंचे: –

> **"155.** इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि धारा 42 या धारा 53 के अधीन नामित अधिकारी के समक्ष दिया गया स्वीकारोक्ति कथन एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने का आधार हो सकता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 को खत्म करने वाले किसी भी गैर–बाधक खंड के बिना और किसी भी सुरक्षा उपाय के बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 20 (3) व 21 में निहित संवैधानिक गारंटियों का सीधा उल्लंघन होगा। "

156. कन्हैयालाल[5] का निर्णय राज कुमार करवाल[6] के पैरा 44 व 45 का अनुपालन करता है। हमारे द्वारा ऊपर बताए गए कारणों से, ये दोनों निर्णय विधि को उचित रुप से नहीं दर्शाते हैं, एवं निम्नानुसार हमारे द्वारा खारिज किए जाते हैं। अन्य निर्णय जो स्पष्ट रूप से इन निर्णयों या इन निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं और उन पर निर्भर करते हैं, वे भी हमारे द्वारा दिए गए कारणों से खारिज हो जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

157. दूसरी ओर, इस निर्णय में हमारे द्वारा दिए गए कारणों से, नूर आगा[7] और निर्मल सिंह पहलवान विरुद्ध निरीक्षक, सीमा शुल्क[8] के निर्णय विधि की दृष्टि से उचित हैं।

158. हम संदर्भ का उत्तर यह कहकर देते हैं:

158.1. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के अधीन जिन अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष दिया गया कोई भी स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अधीन वर्जित होगा, और एनडीपीएस अधिनियम के अधीन किसी अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने हेतु उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

---

5 Kanhaiyalal v. Union of India , (2008) 4 SCC 668 : (2008) 2 SCC (Cri) 474

6 Raj Kumar Karwal v. Union of India , (1990) 2 SCC 409 :1990 SCC (Cri) 330

7 Noor Aga v. State of Punjab , (2008) 16 SCC 417 :(2010) 3 SCC (Cri) 748

8 (2011) 12 SCC 298:(2012) 1scc (Cri) 555

158.2. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अधीन दर्ज किए गए कथन को एनडीपीएस अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण में स्वीकारोक्ति कथन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

12. इसी प्रकार, **राजकुमार हरिराम गमेती** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 6 व 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

"6. समय के साथ विधि की स्थिति बदल गई है। वर्ष 2020 में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तुफान सिंह विरुद्ध तमिलनाडु राज्य, [(2013) 16 एससीसी 31] में एक खंडपीठ के संदर्भ आदेश का उत्तर दिया और कन्हैयालाल विरुद्ध भारत संघ [(2008) 4 एससीसी 668] और राज कुमार करवाल विरुद्ध भारत संघ [(1990) 2 एससीसी 409] के प्रकरण में अनुपात की पुनः जांच की, ताकि यह तय किया जा सके कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी प्रकरण की विवेचक 'पुलिस अधिकारी' के रूप में योग्य होगा या नहीं। अन्य संबंधित मुद्दा जिसकी विवेचना तुफान सिंह [(2021) 4 एससीसी 1] में वृहद पीठ ने की थी, वह यह था कि क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अधीन विवेचक द्वारा दर्ज किए गए कथन को स्वीकारोक्ति कथन माना जा सकता है या नहीं, भले ही अपराधी को 'पुलिस अधिकारी' न माना जाए या नहीं।

10. इस प्रकार, आज की तारीख में विधि की स्थिति यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियों के साथ निवेश किए गए किसी अधिकारी के समक्ष किसी अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई भी स्वीकारोक्ति कथन इस कारण से वर्जित है कि ऐसे अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में 'पुलिस अधिकारी' हैं, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अधीन किसी अभियुक्त द्वारा दिया गया और दर्ज किया गया कथन एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अपराध के विचारण में स्वीकारोक्ति कथन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

13. फिरदोसखान खुर्शीदखान विरुद्ध गुजरात राज्य व अन्य[9] के प्रकरण में सह–अभियुक्त अनवरखान (ए–1) के कथन के आधार पर अभियुक्त फिरदोसखान (ए–2) को दोषी सिद्ध किया गया तथा माननीय

9 2024 SCC Online SC 680

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के पैरा 26 एवं 27 में **तूफान सिंह** (पूर्वोक्त) के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

> **"26.** इस न्यायालय द्वारा तूफान सिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अधीन दर्ज अभियुक्त के स्वीकारोक्ति कथन की स्वीकार्यता का परीक्षण किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार के स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं।
>
> **27.** अतः, अनवरखान (ए–1) का कथन (प्रदर्श–42) जिसमें उसने कथित रूप से अपीलार्थी फिरदोसखान (ए–2) की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी जो घटनास्थल से भाग गया था, अपीलार्थी फिरदोसखान (ए–2) के विरुद्ध साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से उक्त कथन दर्ज किया गया था वह वांछित होने की गुंजाइश नहीं छोड़ता है और इसकी पवित्रता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है, इसके अतिरिक्त यह तूफान सिंह (पूर्वोक्त) के आधार पर अस्वीकार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.इस प्रकार, सह–अभियुक्त राजेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ अभय का स्वीकारोक्ति कथन अभियोजन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सका और इस प्रकार, **तूफान सिंह** (पूर्वोक्त) और **फिरदोसखान खुर्शीदखान** (पूर्वोक्त) के आलोक में वर्तमान अपीलार्थी को दोषी सिद्ध करने के उद्देश्य से इस पर अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

15. इसके अतिरिक्त, डॉक पहचान एक बहुत ही दुर्बल साक्ष्य है और इस पर अवलंब नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि **बुद्धसेन व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**[10]के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि पहली बार परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति की पहचान दुर्बल प्रकृति की है, और रिपोर्ट के पैरा 7 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> "7. अब, ऐसे तथ्य जो किसी अभियुक्त व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन सुसंगत हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, किसी साक्षी का मुख्य साक्ष्य न्यायालय में दिया गया कथन होता है।

10 1970 (2) SCC 128

पहली बार विचारण में अभियुक्त व्यक्ति की पहचान मात्र का साक्ष्य अपने स्वभाव से ही कमज़ोर चरित्र का होता है। दोषसिद्धि के लिए साक्ष्य में सामान्यतः यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह कैसे और किन परिस्थितियों में किसी विशेष अभियुक्त व्यक्ति को चुनने में सफल हुआ और अभियुक्त ने उचित विशिष्टता के साथ संबंधित अपराध में क्या भूमिका निभाई। इसलिए, पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना प्रतीत होता है। इसलिए, यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि अभियुक्त की पहचान के बारे में न्यायालय में साक्षियों की शपथबद्ध साक्ष्य की पुष्टि के लिए सामान्य रूप से पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में देखा जाए, जो उनके लिए अजनबी हैं।....."

16. इसी प्रकार, **<u>बोल्लावरम पेड्डा नरसी रेड्डी</u>** (पूर्वोक्त) में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य ही मूल साक्ष्य है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे प्रकरण में जहां साक्षी अभियुक्त के लिए अजनबी है और वह न्यायालय के समक्ष पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करता है, न्यायालय सामान्यतः उस पहचान को निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यह साक्षियों का साक्ष्य को आश्वस्त करने के लिए है कि पहले की पहचान के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार अवधारित किया:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8. न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य ही मूल साक्ष्य है। ऐसे प्रकरण में जहां साक्षी अभियुक्त के लिए अजनबी है और वह न्यायालय के समक्ष पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करता है, न्यायालय सामान्यतः उस पहचान को निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। यह साक्षियों के साक्ष्य को आश्वस्त करने के लिए है कि पहले की पहचान के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। यदि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद साक्षी द्वारा पहचान करा ली जाती है और ऐसी पहचान में कोई कमी नहीं होती है तो यह परिस्थिति साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य की पुष्टि करती है। परंतु ऐसे प्रकरण में जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य स्वयं ही दुर्बल हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई पहचान अभियोजन के लिए कोई सहायक नहीं होगी।"

17. इस प्रकार, हमारा यह विचार है कि चूंकि सह–अभियुक्त का स्वीकारोक्ति कथन उपरोक्त दर्शित कारणों से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, विशेष रूप से इस कारण से कि पहली बार विचारण में अभियुक्त व्यक्ति की पहचान मात्र का साक्ष्य स्वयं दुर्बल प्रकृति का है, अतः हमारे पास वर्तमान

अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और इसलिए वर्तमान अपीलार्थी, धनी राम गोंड संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किए जाने का हकदार है। इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है और उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह दिनाँक 11–7–2017 से जेल में निरुद्ध है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

18. दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है।

19. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय तथा उस जेल अधीक्षक को, जहां अपीलार्थी जेल में निरुद्ध है एवं कारावास का दण्ड भुगत रहा है, आवश्यक सूचना तथा कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**